राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	117/2021 — रामप्यारी / मालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/11/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादिया/अपीलार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बेदखली एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम डीसा तहसील आमेर स्थित आराजी ख.न. 208 रकबा 0.40 हे० की एकमात्र खातेदार वादिया है जो अनपढ महिला है एवम् वह उक्त कृषि भूमि से दूर निवास करती है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं.1 वादिया को हैरान परेशान करने की नियत से चूँकी वादिया की कृषि भूमि के उत्तरी सीमा के लगता प्रतिवादी सं.1 की कृषि भूमि होने से प्रतिवादी सं.1 वादिया की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर कभी धोरिया तथा कभी फसल कुध कर रकबा जो सीमा से लगता हुआ है पर कर लेता है। वाद के अन्त में इस्तदुआ की गयी कि वादिया की आराजी ख.न. 208 रकबा 0.40 हे० से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब वाद मय काऊन्टर क्लेम पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 17/2/2021 को निर्णय पारित कर वादिया का वाद	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	117/2021 रामप्यारी / मालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवम् प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादिया / अपीलार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। रेस्पोंडेन्ट्स के बावजूद सूचना तामिल अनुपस्थित रहने पर अभिभाषक अपीलार्थी की इकतरफा बहस समाप्त की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के विवेचन मे वादिया का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना अंकित किया है जबकी वादिया / अपीलार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की थी। जिसमे गवाह ने दिनांक 15/9/19 को प्रतिवादी द्वारा डोलिया डालकर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है एवम् इस तथ्य की ताईद प्रतिवादी की जिरह मे भी की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गवाह के बयान को अच्छी तरह से न समझकर अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पारित किया गया है जबकी वादिया / अपीलार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को बखूबी साबित किया है। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे आगे निवेदन किया कि अपीलार्थीया का विवादग्रस्त आराजी ख.नं.208 का रिकॉर्ड खातेदार होना राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित था एवम् मेड़ कटने अथवा सीमा विवाद

(हस्ताक्षर) 4/10/22

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	117/2021 रामप्यारी / मालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का कोई बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय को प्रभावित कर रहा था तो वह इस सन्दर्भ मे तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर वाद का निस्तारण करते जिससे वादिया के वाद का न्यायिक निर्णय सही रूप से किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त फरमाये जावे।

बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण बेदखली एवम् स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसमे वादिया/अपीलार्थीयों द्वारा अपने खाते की आराजीयात ख.न. 208 स्थित ग्राम डीसा तहसील आमेर पर स्थित उक्त आराजी के पास स्थित आराजी के खातेदार प्रतिवादी स.1 द्वारा अतिक्रमण किये जाने से उन्हे बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किये जाने की इस्तदुआ के साथ वाद लेकर आई है। जिसके सन्दर्भ मे मुख्य तनकीयात का विवेचन करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय जेर अपील मे यह अंकित करते हुये कि "विवादित आराजीयात पर वादिया को स्वयं का विधिक कब्जा होना प्रमाणित किया जाना था जो किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नही होता है एवम् प्रकरण का स्वीकृत तथ्य पक्षकारान् के मध्य सीमा का विवाद होना धारित होता है।" वादिया का

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामप्यारी / मानूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
117/2021	5	

वाद खारिज कर दिया गया। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध EXP-1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ख.न. 208 स्थित ग्राम डीसा तहसील आमेर के सन्दर्भ में वादिया/अपीलार्थी रामप्यारी राजस्व रिकार्ड में एकल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, जिसे अपने खाते की आराजीयात के संरक्षण हेतु वाद लाने का अधिकार कानूनन है। जहाँ तक प्रकरण मे विवादित आराजीयात पर कब्जे अथवा सीमा के विवाद होना धारित करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जेर अपील पारित किया गया है, का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे विवादित आराजीयात के सन्दर्भ मे तहसील से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, प्राप्त मौका रिपोर्ट के तथ्यो का परिक्षण करते हुये वाद का निस्तारण करते किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर मात्र कयासो के आधार पर निर्णय जेर अपील दिनांक 17/2/2021 पारित किया गया है जो न्यायसंगत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजी

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	117/2021 रामप्यारी / मालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर वाद का विधिसम्मत निस्तारण पुनः करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	40 नकल 11805 24.12.21
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)	निर्णय आज दिनांक 23/11/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	